जीविकोपार्जन के मिशन पर जुटी सरकार

—सुधांशु सिंह

केंद्र सरकार की ओर से लोगों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि हर हाथ को काम मिले और व्यक्ति को सम्मान मिले। इसके लिए वह लगातार प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण इलाके के लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें ग्रामीण आजीविका मिशन मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस मिशन के जरिए गरीबी मिटाने का मिशन चल रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की तकदीर बदल दी है। गांवों से युवाओं का पलायन भी रुका है। सरकारी नौकरी की बेताबी कम हुई है और लघु उद्योग से जुड़ने का मौका मिला है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यकों एवं महिलाओं को नया रास्ता दिखा है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से हर वर्ग को लगातार संसाधन उपलब्ध कराने के साथ ही रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत समय–समय पर विभिन्न योजनाओं को संगठित करने, उन्हें विस्तारित करके लोगों के फायदे योग्य बनाने की दिशा में भी प्रयास किया जाता है। ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्यधारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी दूर करने की दिशा में ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर हम इसके इतिहास पर गौर करें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) को पुनर्गठित किया गया और वित्तीय वर्ष 2010–11 के बाद से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में प्रदर्शित किया गया।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस योजना के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने के लिए प्रो. राधाकृष्ण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। एसजीएसवाई के तहत ऋण से संबंधित मुद्दों पर गठित समिति ने बाकायदा पड़ताल की। समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि हमें नए तरीके से एक कार्यक्रम लागू करने की जरूरत है जिसमें कार्यात्मक रूप से प्रभावी स्वयंसहायता समूहों और उनके महासंघों में सभी गरीब परिवारों को जुटाने, बैंक ऋण और अन्य वित्तीय, तकनीकी और विपणन सेवाओं के लिए उनके उपयोग को बढ़ाने आदि पर जोर देना होगा।

सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और गरीबी कम करने के लिए अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करने और गति प्रदान करने और 2015 तक सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों (एमडीजी) को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) में एसजीएसवाई का पुनर्गठन किया। एनआरएलएम के कार्यान्वयन के लिए फ्रेमवर्क 9 दिसंबर, 2010 को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया और मिशन औपचारिक रूप से 3 जून, 2011 को शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सक्षम और प्रभावशाली संस्थागत मंच प्रदान कर उनकी आजीविका में निरंतर वृद्धि करना, वित्तीय सेवाओं तक उनकी बेहतर और सरल तरीके से पहुंच बनाना और उनकी पारिवारिक आय को बढ़ाना

है। इसके लिए मंत्रालय को विश्व बैंक से आर्थिक सहायता मिलती है। मिशन के आंकड़ों के मुताबिक एनआरएलएम ने स्वसहायता समूहों तथा संघीय संस्थानों के माध्यम से देश के 600 जिलों, 6000 प्रखंडों में करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और छह लाख गांवों के 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों (बीपीएल) को दायरे में लाने का और 8 से 10 साल की अवधि में उन्हें आजीविका के लिए आवश्यक साधन जुटाने में सहयोग देने का संकल्प किया है। इसके जरिए गरीब लोगों में अपनी गरीबी मिटाने की मजबूत इच्छाशक्ति पैदा कर उनकी भरपूर क्षमता पैदा करना है।

गरीब लोगों की सहज क्षमताओं को उबारने के लिए उनकी सामाजिक एकजुटता के साथ–साथ सशक्त संस्थाएं बनाना बहुत जरूरी है। सामाजिक एकजुटता लाने, सशक्त संस्थाओं के निर्माण और सशक्तीकरण प्रक्रिया के लिए एक बाह्य समर्पित और संवेदनशील सहायक संरचना की जरूरत है। इसकी निगरानी के लिए भी बाकायदा योजना बनाई गई। एनआरएलएम परामर्श समिति (एनआरएलएमएसी) बनाई गई है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री करेंगे। नीति निर्माता इकाई के तौर पर यह एनआरएलएम का विज़न, दिशा और प्राथमिकताएं तय करेगी और पूरी प्रगति की समीक्षा करेगी। ग्रामीण विकास सचिव की अध्यक्षता में एनआरएलएम की समन्वय समिति समय पर मिशन के उद्देश्यों की प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए इस पर नजर रखेगी। एनआरएलएम की अधिकार प्राप्त समिति राज्य के नजरिए और क्रियान्वयन वाली योजनाओं तथा वार्षिक कार्ययोजनाओं की समीक्षा करेगी। ये समिति योजनाओं को मंजूरी देती है और एसआरएलएम को धन जारी करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में एनआरएलएम के संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव मिशन निदेशक के तौर पर मिशन की अगुवाई करते हैं। इसी तरह जिला–स्तर पर जिला मिशन प्रबंधन इकाई (डीएमएमयू) जिले में निगरानी रखती है। यह डीआरडीए के साथ बेहतर तालमेल रखते हुए संबंधित क्षेत्र की संरचनाओं की सहयोगी इकाई के तौर पर काम करती है। डीएमएमयू का प्रमुख जिला मिशन प्रबंधक (डीएमएम) है। इसमें सामाजिक समावेश, वित्तीय समावेश, आजीविका, क्षमता निर्माण, कार्यक्रम प्रबंधन, कार्यक्रम सहयोग आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे, साथ ही आवश्यकतानुसार सहयोगी स्टाफ होता है। इन विशेषज्ञों तथा स्टाफ सदस्यों की जरूरत के आधार पर चरणबद्ध तरीके से कांट्रेक्ट पर या प्रतिनियुक्ति की जाती है। इसके अलावा, भारत सरकार ने गहन निवेश शुरू करने के लिए उच्च गरीबी वाले राज्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जुलाई 2011 में आईडीए ने विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना को करीब 4500 करोड़ रुपये से पुनर्गठित किया गया है।

कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के तमाम प्रयास

कुटीर उद्योग के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। तथापि, सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय में सरकार के पास श्रम गहन तकनीक तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति निवेश के आधार पर कुटीर उद्योग सहित सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के विकास के लिए बहुत–सी योजनाएं हैं। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय में सरकार संपूर्ण देश में परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को संगठित करके उनकी अर्जन क्षमता बढ़ाने के अलावा, उनका पलायन रोकने में सहायता कर कुटीर उद्योगों सहित सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए राष्ट्रीय–स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के साथ 2008–09 से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक ऋण संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। स्कीम को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर, बैंकों की भागीदारी के साथ खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र में परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी ले सकते हैं। अ.जा/अजजा/अपिव/अल्पसंख्यकों/महिलाओं/भूतपूर्व सैनिकों/शारीरिक विकलांगों/पूर्वोत्तर क्षेत्र/पर्वतीय तथा सीमावर्ती क्षेत्रों आदि जैसे विशेष श्रेणियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी है। विनिर्माण इकाई के लिए अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम स्कीम को देश के पिछड़े क्षेत्र सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। मार्जिन मनी का लक्ष्य आबंटित करते समय पिछड़ेपन के घटक को भी ध्यान में रखा जाना है। विगत दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी राज्यवार मार्जिन मनी सब्सिडी जिसे लक्ष्य तथा कृषि ग्रामीण उद्योग सहित सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए प्रयुक्त मार्जिन मनी सब्सिडी के संदर्भ में उपलब्धि माना जाता है, इसे अनुबंध में दिया गया है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) दो योजनाओं को मिलाकर तैयार किया गया है। वर्ष 2008 से पहले प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार

सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) अलग–अलग योजनाएं थीं, लेकिन सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय की सिफारिश पर 14 अगस्त, 2008 को पीएमईजीपी के तहत इसका एकीकरण कर दिया गया। राष्ट्रीय–स्तर पर योजना के क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार की ओर से खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को एकमात्र नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया। राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं राज्य सरकार के जिला उद्योग केंद्र भी इस योजना के क्रियान्वयन के लिए सहयोगी बनाए गए। इससे पहले सरकार की ओर से पीएमआरवाई के तहत वर्ष 1996 – 97 में 115 करोड़, 2001–02 में 193 करोड़, 2004–05 में 218 करोड़, 2006 –07 में 252 करोड़ एवं 2007–08 में 320 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। इसके लिए 15 से 35 फीसदी के अनुदान की व्यवस्था की गई। इस योजना के तहत, लाभार्थी को परियोजना की लागत के 10 प्रतिशत का निवेश स्वयं के योगदान के रूप में करना होता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों से लाभार्थी के लिए यह योगदान परियोजना की कुल लागत का 5 प्रतिशत होता है। शेष 90 या 95 प्रतिशत (जो भी उपयुक्त हो), इस योजना के तहत निर्दिष्ट बैंकों द्वारा प्रदान किया जाता है।

इस योजना के तहत लाभार्थी को ऋण की एक निश्चित रकम वापस दी जाती है। इसमें सामान्य के लिए 25 फीसदी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए 35 फीसदी का प्रावधान किया गया है, जोकि ऋण प्राप्त करने की तिथि के दो वर्षों के बाद उसके खाते में आती है। इसके तहत 4735 करोड़ रुपये की योजना लागत है। ग्यारहवीं योजना में 2008–09 से लेकर 2011–12 के दौरान इसके तहत 38 लाख अतिरिक्त रोजगार अवसर सृजित किए जाने का अनुमान है। कार्यक्रम के तहत सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये तक के सूक्ष्म उद्यम तथा विनिर्माण के क्षेत्र में 25 लाख रुपये तक के उद्यम की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए नई परियोजनाएं स्थापित की जा सकेंगी, लेकिन पूर्व स्थापित उद्योगों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी खादी ग्रामोद्योग आयोग, राज्यों के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, प्रदेश के सभी जिला उद्योग केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह ऋण राशि की संस्तुति सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों, ग्रामीण बैंक, सिडबी, सहकारी भूमि विकास बैंक, राज्य के उद्योग सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित निजी क्षेत्र के बैंक कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की दो श्रेणी तय की गई हैं। पहली श्रेणी यानी सामान्य श्रेणी में परियोजना लागत का 10 फीसदी लाभार्थी को लगाना पड़ता है। यदि लाभार्थी शहरी क्षेत्र का है तो उसे परियोजना लागत का 15 फीसदी और यदि ग्रामीण क्षेत्र का है तो उसे 25 फीसदी सब्सिडी दी जाती है। इसी तरह दूसरी श्रेणी यानी विशेष श्रेणी में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला (सभी वर्गों की), पूर्व सैनिक, शारीरिक विकलांग, सीमावर्ती क्षेत्र को शामिल किया गया है। इस श्रेणी के लाभार्थी को अंशदान परियोजना लागत का सिर्फ पांच फीसदी लगाना होता है और शहरी क्षेत्र के लाभार्थी को परियोजना लागत की 25 फीसदी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थी को 35 फीसदी सब्सिडी दी जाती है। बैंक से पहली किस्त जारी होने के बाद लाभार्थी संबंधित बैंक के जरिए मार्जिन मनी का दावा 15 दिन में नोडल शाखा में करता है। नोडल शाखा ऋण लेने वाली बैंक शाखा को 15 दिन में मार्जिन मनी जारी कर देती है। इस संबंध में उद्योग केंद्र को सूचित करने के बाद लाभार्थी के नाम मार्जिन मनी को टीडीआर में रखा जाता है। टीडीआर में कोई ब्याज नहीं दिया जाता, लेकिन जैसे ही परियोजना स्थापित करने के बारे में भौतिक सत्यापन पूरा हो जाता है यह मार्जिन मनी लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है। भौतिक सत्यापन 24 माह के अंदर ही किया जाता है।

भारत में पारंपरिक उद्योगों की एक समृद्ध परंपरा है। पारंपरिक उद्योगों के पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की महान क्षमता न केवल उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करती है, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में

रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। वास्तव में स्फूर्ति परंपरागत उद्योगों के सृजन हेतु निधि की योजना है। आयोग खादी के साथ–साथ ग्रामोद्योगी उत्पादों के लिए क्लस्टर विकास के संवर्धन हेतु नोडल अभिकरण है। कार्यक्रम के परिणाम ने कारीगरों की मजदूरी तथा कार्यान्वयन अभिकरण के उत्पादन एवं बिक्री बढ़ाने में बहुत प्रोत्साहित दिया था। स्फूर्ति क्लस्टरों हेतु संचालित मूल्यांकन अध्ययन ने कार्यक्रम को नियत किया, जिससे कार्यक्रम को पूर्णतया सफलता मिली। सूक्ष्म, लघु एवं मझोले मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना में निश्चित संशोधन कर इसकी प्रोन्नति हेतु विस्तृत रूप में बजट बढ़ाने का प्रस्ताव किया। पहले चरण में देश में 71 संकुलों का विकास किया जाएगा जिसमें 149.44 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके अनुसार 12वीं योजना अवधि में 800 संकुलों का प्रस्ताव है जिसके लिए धन सरकार व एशियाई विकास बैंक से जुटाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोला उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालय ने यह योजना 2005 में शुरू की थी। सरकार ने कुल 97.25 करोड़ रुपये के योजना व्यय के साथ खादी, ग्राम व नारियल रेशा क्षेत्रों के विकास के लिए 100 क्लस्टर विकसित करने की स्फूर्ति योजना पेश की थी। इस योजना के तहत उत्पादन उपकरणों को बदलने के लिए मदद, सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना, उत्पाद विकास, गुणवत्ता सुधार, विपणन में सुधार, प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण शामिल हैं।

मधुमक्खी पालन

मधुमक्खी पालन के उत्पाद के रूप में शहद और मोम आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। भारत में मधुमक्खियों की चार प्रजातियां पायी जाती हैं। पहाड़ी मधुमक्खी, छोटी मधुमक्खी, भारतीय मधुमक्खी। शहद निकालने के लिए मधुमक्खियों को धुआं दिखाकर अलग कर दिया जाता है। शहद को अमूमन अक्तूबर–नवंबर और फरवरी–जून के बीच ही एकत्र किया जाना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में फूल ज्यादा खिलते हैं। पूरी तरह भरा हुआ छत्ता हल्के रंग का होता है। इसके दोनों ओर के आधे से अधिक कोष्ठ मोम से बंद होते हैं। मधुमक्खी पालन में कम समय, कम लागत और कम ढांचागत पूंजी निवेश की जरूरत होती है। कम उपज वाले खेत से भी शहद और मधुमक्खी के मोम का उत्पादन किया जा सकता है। मधुमक्खियां खेती के किसी अन्य उद्यम से कोई ढांचागत प्रतिस्पर्धा नहीं करती हैं। मधुमक्खी पालन का पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मधुमक्खियां कई फूल वाले पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस तरह वे सूर्यमुखी और विभिन्न फलों की उत्पादन मात्रा बढ़ाने में सहायक होती हैं। मधुमक्खी पालन के लिए छत्ता तैयार किया जाता है। यह एक साधारण लंबा बक्सा होता है, जिसे ऊपर से ढका जाता है। बक्से का आकार 100 सेंटीमीटर लंबा, 45 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। बक्सा दो सेंटीमीटर मोटा होना चाहिए और उसके भीतर छत्ते को चिपका कर एक सेंटीमीटर के छेद का प्रवेशद्वार बनाया जाना चाहिए। दूसरा बक्सा स्मोकर है। यह दूसरा महत्वपूर्ण उपकरण है। इसे छोटे टिन से बनाया जा सकता है। हम धुआं फेंकने वाले का उपयोग खुद को मधुमक्खियों के डंक से बचाने और उन पर नियंत्रण पाने के लिए करते हैं।

डेयरी विकास योजना

देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक–आर्थिक विकास में पशुपालन और डेयरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे लघु एवं सीमांत किसान इसके जरिए स्वरोजगार की दिशा में अग्रसर हैं। भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, ओडिशा और केरल दुग्ध उत्पादन की दिशा में अग्रसर हैं। ये 14 प्रदेश कुल दुग्ध उत्पादन का करीब 90 प्रतिशत से ज्यादा उत्पादन देते हैं। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ही डेयरी उद्यमिता विकास योजना का

संचालन भी शुरू किया गया है। इसमें सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 25 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी और अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थियों को 33 प्रतिशत की सहायता केंद्रीय सहायता के तौर पर प्रदान की जाती है। दुनिया के सर्वाधिक पशुधन की संख्या भारत में है। यह दुनिया भर में भैंसों की जनसंख्या का करीब 57.3 प्रतिशत और पशु जनसंख्या का 14.7 है। वर्ष 2012 तक प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता 290 ग्राम प्रतिदिन रही, जबकि विश्व का स्तर 284 ग्राम प्रतिदिन है। भारतीय डेयरी क्षेत्र ने नौवीं योजना से काफी बेहतर स्थिति हासिल कर ली है। भारत प्रतिवर्ष करीब 130 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन के साथ दुनिया का सिरमौर बना हुआ है। मार्च 2012 तक करीब 14.78 मिलियन किसानों को 1,48,965 ग्राम स्तर की डेयरी सहकारी समितियों के दायरे में लाया जा चुका है। राष्ट्रीय डेयरी योजना 2016–17 तक 150 मिलियन टन दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

पोल्ट्री का विकास

केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए पोल्ट्री उद्योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में वर्तमान में प्रति व्यक्ति अंडों की उपलब्धता प्रति वर्ष 55 अंडे हैं। जबकि करीब 66.45 बिलियन अंडों का उत्पादन होता है। पोल्ट्री मांस उत्पादन करीब 2.5 मिलियन टन है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) की रिपोर्ट के अनुसार 2011–12 में करीब 457.82 करोड़ रुपये के पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात हुआ था।

एमू पालन

भारत में इन दिनों एमू पालन का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। इसके जरिए कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। इसके मांस, अंडे, तेल, त्वचा तथा पंखों की अच्छी कीमत मिलती है। ये पक्षी कई तरह की मौसमी दशाओं के लिए अनुकूलित होते हैं। भले ही एमू और शतुरमुर्ग भारत के लिए नए हैं, पर एमू पालन को यहां महत्व मिल रहा है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा चीन एमू के प्रमुख पालक देश हैं। एमू पक्षी भारतीय मौसम के प्रति अच्छी तरह से अनुकूलित हैं। एमू की गर्दन लंबी होती है, उसका सिर अपेक्षाकृत छोटा होता है, तीन अंगुलियां होती हैं और शरीर पंखों से ढका रहता है। एमू के प्राकृतिक भोजन में शामिल हैं– कीट, पौधों के कोमल पत्ते तथा चारा। ये विभिन्न प्रकार की सब्जियां तथा फल खाते हैं, जैसे गाजर, खीरा और पपीता इत्यादि। मादा एमू नर से कुछ ऊंची होती हैं, खास कर प्रजनन काल में जब नर भूखा भी रह सकता है। मादा एमू नर से अधिक प्रभावी होती है। एमू 30 सालों तक जीवित रहता है। इन पक्षियों को जोड़े में या झुंडों में पाला जा सकता है। भारत में एमू तथा शतुरमुर्ग का मांस उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है, जिसमें कम चर्बी, कम कॉलेस्ट्रॉल होते हैं, और ये अच्छे स्वाद वाला होता है।

बकरी पालन

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली की ओर से भारत की विभिन्न जलवायु की उन्नत नस्लें जैसे ब्लैक बंगला, बारबरी, जमनापारी, सिरोही, मारबारी, मालावारी, गंजम आदि के संरक्षण एवं विकास से संबंधित योजनाएं चलायी जा रही हैं। इसमें ब्लैक बंगला प्रजाति की बकरियां पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, उत्तरी उड़ीसा एवं बंगाल में पायी जाती हैं। इसके शरीर पर काला, भूरा तथा सफेद रंग का छोटा रोंआ पाया जाता है। अधिकांश (करीब 80 प्रतिशत) बकरियों में काला रोंआ होता है। जमुनापारी प्रजाति की बकरी सबसे ऊंची तथा लम्बी होती है। यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले एवं गंगा, यमुना तथा चम्बल नदियों से घिरे क्षेत्र में पायी जाती हैं। इसी तरह बीटल नस्ल पंजाब प्रांत में पाली जाती है। बकरी पालन सभी जलवायु में कम लागत, साधारण आवास, सामान्य रखरखाव तथा पालन–पोषण के साथ संभव है। इसके उत्पाद की बिक्री हेतु बाजार सर्वत्र उपलब्ध है। इन्हीं कारणों से पशुधन में बकरी का एक विशेष स्थान है। गरीब किसानों एवं खेतिहर मजदूरों के जीविकोपार्जन का एक साधन भी है बकरी पालन। बकरी पालन स्वरोजगार का एक प्रबल साधन बन रहा है। मांस, दूध एवं रोंआ के लिए बकरी पालन किया जाता है।

(लेखक जयपुर स्थित प्रबंध संस्थान से जुड़े हैं। ग्रामीण विकास व कृषि अर्थव्यवस्था एवं समसामयिक मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते रहते हैं।)